न्यायालय सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज
बंट्वारा वाद सं0–16/2024

मो0 झवरा कुंवर एवं अन्य...वादीगण
बनाम
हरिचरण पासवान एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
04.06.2026	वादीगण की ओर से पैरवी नहीं है। वाद पुकार पर न तो स्वयं वादीगण और न ही वादीगण के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत त्रुटि निवारण हेतु नियत है। वादीगण दिनांक 03.07.2024 से लगातार कोई पैरवी नही कर रहे है। आज दिनांक 04.06.2026 को भी वादीगण की ओर से कोई पैरवी नहीं किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि वादीगण को अपने वाद में कोई रुची नही है। ऐसी स्थिति में वाद को लंबित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण का वाद त्रुटि निवारण के अभाव एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार अभिलेख अभिलेखागार में जमा करायें। लेखापित अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	